न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 02/2021 राजस्व वाद

01. श्री मांगु पुत्र स्व. श्री आशा उर्फ आसु गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. श्री नेना पुत्र स्व. श्री आशा उर्फ आसु गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. श्रीमती सोहनी पत्नी भैरा गुर्जर उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. श्री नारायण पुत्र स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. श्री रोशन पुत्र स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. श्री गोरधन पुत्र स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. सुखी पुत्री स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. कमली पुत्री स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0) --- वादीगण

बनाम

1. श्री गिरधारी पुत्र रायमल गुर्जर,उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्री पारस पुत्र रायमल गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा (राज0)
3. श्री भैरू पुत्र रायमल गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा. जिला भीलवाडा (राज0)
4. भवरी पुत्री रायमल गुर्जर उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा (राज0)
5. हरदेव पुत्र रायमल गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)

--प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92—क, राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :-

1. श्री विनोद तिवाडी —अधिववक्ता वादी
2. एकपक्षीय— --प्रतिवादी संख्या 01 से 5
3. पेरोकार सरकार --अधिववक्ता—प्रतिवादी संख्या 06

:: निर्णय :: दिनांक— 11.08.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी पदेन

कास्तकारी अधिनियम बाबत स्थायी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर कृषि आराजियात वाके ग्राम हीरा का बाडिया, पटवार हल्का सेहगुन्दा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा (राज0) में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2077 के खाता संख्या 34 में आराजी नम्बर 1187 रकबा 0.2276 हैक्टेयर चाही द्वितीय, आराजी संख्या 1187 रकबा 0.2276 हैक्टेयर जाव द्वितीय, आराजी संख्या 1188 रकबा 0.2403 हैक्टेयर चाही द्वितीय, आराजी संख्या 1188 रकबा 0.2403 हैक्टेयर जाव द्वितीय, आराजी संख्या 1191 रकबा 0.8979 हैक्टेयर बजड, आराजी संख्या 1193 रकबा 0.5944 हैक्टेयर बारानी उत्तम के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है, जिसमे प्रतिवादी गिरधारी, पारस, भैरू, भंवरी एवं हरदेव का 1/20 हक हिस्सा दर्ज है तथा वादी नेना, भैरू, नांनु का प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा दर्ज है। सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त आराजियात को वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित किया जावेगा। वादीगण के परिवार का पारिवारिक सजरा वादपत्र की चस्पा संख्या 02 पे है। उक्त सजरे अनुसार नेना, भैरू, रायमल व नांनु स्व आसा गुर्जर के पुत्र थे, जिसमें से भैरू और रायमल फोत हो गये, भैरू के वारिसान वादीगण सोहनी, नारायण, रोशन, गोरधन, सुखी व कमली है तथा रायमल लाऔलाद फौत हो गया है। वादी नेना, स्वर्गीय भैरू, स्वर्गीय रायमल व नांनु पुत्र आसा गुर्जर के नाम पर सम्वत 2065 से 2068 के खाता संख्या 33 में आराजी संख्या 1187 रकबा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 1188 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 1191 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 1193 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा कुल कीता 04 कुल रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा स्थित था। उक्त खातेदारो में से रायमल पिता आसा गुर्जर की मृत्यु हो जाने से उसकी विरासत का इतकाल संख्या 122 दिनांक 27-01-2012 को खोला गया, जिसमें रायमल के वारिसान के रूप में प्रतिवादी गिरधारी, भैरू, पारस, हरदेव, भंवरी एवं राजी को दर्शाते हुये राजी (पत्नी) को फोत बताते हुये रायमल का इंतकाल उक्त प्रतिवादीगण के नाम पर खोल दिया गया तथा शेष बदस्तूर रखा गया, जबकि रायमल के कोई औलाद नहीं थी और न ही वह जब यह इंतकाल खोला गया तब उसकी मृत्यु हुई थी बल्कि उक्त इंतकाल खोला गया तब रायमल पिता आसा गुर्जर जीवित था तथा रायमल की मृत्यु दिनांक 08/08/2016 को हुई है, जिसका मृत्यु प्रमाणपत्र भी वादपत्र के साथ प्रस्तुत है, वादीगण की गौत्र बनाऊ है एंव प्रतिवादीगण की गौत्र तख्या है। जो इंतकाल संख्या 122 दिनांक 27-01-2012 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर खोला गया जो गलत तौर पर खोला गया, क्योंकि रायमल लाऔलाद फोत हुआ था तथा उसके कोई वारिसान नहीं होकर वादीगण ही उसके द्वितीय श्रेणी के विधिक वारिसान है, जबकि जिस रायमल की मृत्यु हुई थी उसके पिता जी का नाम हीरा जी था तथा राजस्व कर्मचारियो से गलती से त्रुटिवश रायमल पिता हीरा जी की मृत्यु का इंतकाल खोला वह रायमल पिता आसा उर्फ आसु गुर्जर की मृत्यु मानते हुये खोल दिया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 स्वर्गीय रायमल पिता आसा गुर्जर के वारिसान नहीं होकर स्वर्गीय रायमल पिता हीरा जीके वारिसान है, जिसका उक्त वादग्रस्त आराजियात से कोई सरोकार अथवा लेना देना नही है, मात्र राजस्व कर्मचारियो की गलती से उक्त इंतकाल प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर खोल दिया गया, जिसे दुरूस्त करवाने का वादीगण को विधिक हक व अधिकार है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण की पुश्तैनी आराजियात होकर वादीगण उक्त आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

की त्रुटिवश वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम दर्ज रेकॉर्ड हो गया है, जिसे इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण स्वर्गीय रायमल पिता आशा गुर्जर के विधिक वारिसान होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजियात वादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है. इसलिये वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई व हो रही है। वादग्रस्त आराजियात के समस्त राजस्व रेकॉर्ड की नकले वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग है. लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में उक्त गलत इन्द्राज होने की जानकारी वादीगणो को पुर्व में नहीं थी, लेकिन दिनाक 10–02–2021 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 कब्जा करने की नियत से वादग्रस्त आराजियात पर आये और वादीगणो को धमकी दी कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में हमारा भी हिस्सा है, इसलिये हम कब्जा करके रहेगे, लेकिन वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के प्रयास को निष्फल कर दिया और सम्पूर्ण राजस्व रेकॉर्ड की नकले दिनांक 15–02–2021 को प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, नकले प्राप्त होने के उपरान्त वादीगण को यह जानकारी में आया कि वादग्रस्त आराजियात में वादी संख्या 01 व 02 के भाई वादी संख्या 03 लगायत 08 के काका स्वर्गीय रायमल पिता आशा गुर्जर के नाम की आराजियात को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर रामबलू पिता आशा गुर्जर केफौत होने से पूर्व ही गलत तौर पर रायमल पिता हीरा गुर्जर के नाम का इंतकाल प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर खोल दिया गया है. इसलिये वादीगण द्वारा उक्त गलत हुये इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने एवं वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित घोषित किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । वादीगण की साक्ष्य स्वरूप वादी व स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा वादी द्वारा प्रकरण मे जमाबंदी की नकले, दस्तावेजात प्रतिया पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात जो कि वादीगण के परिजन रायमल पुत्र श्री आशा गुर्जर की है, रायमल गुर्जर जो कि लाऔलाद फोत हुआ , जिसके वारीस वादीगण ही है, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 जो कि अलग तेडवा गोत्र के है , रायमल को मृतक बताकर उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज की गयी तब रायमल पुत्र श्री आशा गुर्जर जीवत था व रायमल की मृत्यु दिनांक 08/08/2016 को हुआ है, जबकि प्रतिवादीगण जो कि रायमल पुत्र श्री हीरा गुर्जर के वारीसान है। इस कारण से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम विलोपित कर वादीगण के नाम पर भूमि दर्ज करने का निवेदन किया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त आराजियात रायमल पुत्र श्री आशा की मृत्यु दिनांक 08/08/2016 को हुई, जबकि रायमल पुत्र श्री आशा की उक्त आराजियात का नामान्तरणकरण उसकी मृत्यु से पूर्व ही दिनांक 27/01/2012 को खोला गया है व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 जो कि पारीवारिक सजरे अनुसार रायमल पुत्र श्री आशा के वारीसान नही होकर रामयल पुत्र श्री हीरा के वारीसान

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

होकर गोत्र भी अलग अलग है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम गलत तौर पर अभिलिखित है, जिनका नाम विलोपित करा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद हीरा का बाडिया पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1187, 1188, 1191, 1193 कुल किता 04 रकबा 1.9602 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम विलोपित किया जाकर रामयल पुत्र श्री आशा गुर्जर के हक हिस्से की भूमि वादी संख्या 01 के 1/3 व वादी संख्या 02 के 1/3 व वादी संख्या 03 लगायत 08 के 1/3 हक हिस्से के रूप मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे भूमि वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा०दी०)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 82/2021 राजस्व वाद

01. श्री गांगु पुत्र स्व. श्री आंशा उर्फ आंसु गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज०)
02. श्री मैना पुत्र स्व. श्री आशा उर्फ आसु गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा. तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज०)
03. श्रीमती सोहनी पत्नी भैरा गुर्जर उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा. जिला भीलवाडा (राज०)
04. श्री नारायण पुत्र स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०)
05. श्री रोशन पुत्र स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०)
06. श्री गोरधन पुत्र स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०)
07. सुखी पुत्री स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा (राज०)
08. कमली पुत्री स्व. श्री भैरा गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा (राज०)

—— वादीगण

बनाम

01. श्री गिरधारी पुत्र रायमल गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज०)
02. श्री पारस पुत्र रायमल गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा (राज०)
03. श्री भैरू पुत्र रायमल गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा. जिला भीलवाडा (राज०)
04. भवरी पुत्री रायमल गुर्जर उम्र वयस्क, निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा (राज०)
05. हरदेव पुत्र रायमल गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा (राज०)
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज०)

——प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92—क, राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती</u>

———

वादीगण की ओर से श्री विनोद कुमार तिवाडी , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 11.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि और इस

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक [illegible] प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित सारा राशि भील को दी जावें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम [illegible] का बाड़िया पटवार हल्का [illegible] भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चित्ताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1187, 1188, 1191, 1193 कुल किता 04 रकबा 1.9602 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम विलोपित किया जाकर रामलाल पुत्र श्री आशा गुर्जर के हक हिस्से की भूमि वादी संख्या 01 के 1/3 व वादी संख्या 02 के 1/3 व वादी संख्या 03 लगायत 08 के 1/3 हक हिस्से के रूप मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे भूमि वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

(ज्योति [illegible] सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)